**न्यायालयः– सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (पाली)**
**पीठासीन अधिकारी :– श्री सुरेश कुमार आर.ए.एस.**
**राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 01/2022**
**प्रकरण दर्ज तिथि :– 24.01.2022**
**जीसीएमएस नम्बर :– 2022/13**

**प्रार्थीगण**

1. टीमुडी पत्नि श्री देवाराम, उम्र–वयस्क, जाति–कुमावत, निवासी–पिपलिया कलां तहसील रायपुर जिला पाली राज

**बनाम**

**अप्रार्थीगण**

1. राजस्थान सरकार बजरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार रायपुर जिला पाली राज.

राजस्व नक्शे मे तरमीन शुद्वि करने बाबत अन्तर्गत धारा 131 व 136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956

उपस्थितः– 1 अधिवक्ता श्री जसवंत सिंह सांखला प्रार्थी
2 सरकारी पैरोकार उपस्थित

**निर्णय** दिनांक :– 11.01.2023

प्रार्थी की ओर से वकील श्री जसवंत सिंह सांखला वगैरह द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 एवं 136 आर.एल.आर. एक्ट के तहत विरूद्ध अप्रार्थी के न्यायालय में पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण यह है कि सरहद मौजा ग्राम पिपलिया कलां पटवार हल्का पिपलियाकलां भू. अभि. नि. क्षैत्र पिपलिया कलां, तहसील रायपुर जिला पाली की जमाबन्दी सवत् 2075–2078 के खाता सं. 468 खसरा सं. 441/38 रक्बा 0.1619 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम खातेदारी भुमि आई हुई हे। उपरोक्त खातेदारी आराजी की वक्त चालु जमाबन्दी, वक्त आनलाईन राजस्व नक्शे की प्रति, एवं पुर्व राजस्व नक्शे कि प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश है जिसे वाद पत्र का एक भाग समझा जावें । उक्त आराजी को आगे विवादित आराजी के नाम से पढा जायेगा। उक्त विवादित भुमि प्रार्थीया की खातेदारी भुमि है उक्त भुमि राजस्व नक्शे मे तरमीन हो रखी थी। जिसकी प्रमाणित प्रति संलग्न है। पुराने राजस्व नक्शे मे प्रार्थीया की अन्य खातेदारी भुमि खसरा सं. 441/1 एवं 441/8 के दक्षिण मे लगते हुए समान्तर तरमीन हो रखी है एवं तरमीन अनुसार प्रार्थीया मौके पर लम्बे समय से काबिज होकर शांति पुर्वक काश्त कर रहे है। एवं मौके पर किसी तरह का कोई विवाद नही है मौके पर गैहु की फसल बो रखी है। वक्त सेकरीक्रेशन व राजस्व नक्शे आनलाईन करने डी आर एल एम पी के तहत हल्का पटवारी ने उक्त भुमि कि तरमीन बिना मौके पर गये बिना मौके देखे, बिना पुराने राजस्व नक्शे मे मिलान किये डी आर एल एम पी मे राजस्व नक्शे आनलाईन करने मे जल्दबाजी करते हुए बिना किसी खातेदार के बयान लेकर बिना किसी प्रकार का मौका देखें बिना पुर्व राजस्व नक्शे का मिलान करते हुए अपनी मन मर्जी से गलत स्थान पर तरमीन कर दी है जिससे प्रार्थीया को भारी समस्या का सामना करना पड रहा है। अगर तरमीन गलत जगह रहती है तो प्रार्थीया को

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

न्यायालयः– सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (पाली)
पीठासीन अधिकारी :– श्री सुरेश कुमार आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 01/2022
प्रकरण दर्ज तिथि :– 24.01.2022
जीसीएमएस नम्बर :– 2022/13

**प्रार्थीगण**

1. टीमुडी पत्नि श्री देवाराम, उम्र–वयस्क, जाति–कुमावत, निवासी–पिपलिया कलां तहसील रायपुर जिला पाली राज

**बनाम**

**अप्रार्थीगण**

1. राजस्थान सरकार बजरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार रायपुर जिला पाली राज.

## राजस्व नक्शे मे तरमीन शुद्वि करने बाबत अन्तर्गत धारा 131 व 136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956

उपस्थितः– 1 अधिवक्ता श्री जसवंत सिंह सांखला प्रार्थी
2 सरकारी पैरोकार उपस्थित

**निर्णय** दिनांक :– 11.01.2023

प्रार्थी की ओर से वकील श्री जसवंत सिंह सांखला वगैरह द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 एवं 136 आर.एल.आर. एक्ट के तहत विरूद्ध अप्रार्थी के न्यायालय में पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण यह है कि सरहद मौजा ग्राम पिपलिया कलां पटवार हल्का पिपलियाकलां भू. अभि. नि. क्षैत्र पिपलिया कलां, तहसील रायपुर जिला पाली की जमाबन्दी सवत् 2075–2078 के खाता सं. 468 खसरा सं. 441/38 रक्बा 0.1619 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम खातेदारी भुमि आई हुई हे। उपरोक्त खातेदारी आराजी की वक्त चालु जमाबन्दी, वक्त आनलाईन राजस्व नक्शे की प्रति, एवं पुर्व राजस्व नक्शे कि प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश है जिसे वाद पत्र का एक भाग समझा जावें । उक्त आराजी को आगे विवादित आराजी के नाम से पढा जायेगा। उक्त विवादित भुमि प्रार्थीया की खातेदारी भुमि है उक्त भुमि राजस्व नक्शे मे तरमीन हो रखी थी। जिसकी प्रमाणित प्रति संलग्न है। पुराने राजस्व नक्शे मे प्रार्थीया की अन्य खातेदारी भुमि खसरा सं. 441/1 एवं 441/8 के दक्षिण मे लगते हुए समान्तर तरमीन हो रखी है एवं तरमीन अनुसार प्रार्थीया मौके पर लम्बे समय से काबिज होकर शांति पुर्वक काश्त कर रहे है। एवं मौके पर किसी तरह का कोई विवाद नही है मौके पर गैहु की फसल बो रखी है। वक्त सेकरीक्रेशन व राजस्व नक्शे आनलाईन करने डी आर एल एम पी के तहत हल्का पटवारी ने उक्त भुमि कि तरमीन बिना मौके पर गये बिना मौके देखे, बिना पुराने राजस्व नक्शे मे मिलान किये डी आर एल एम पी मे राजस्व नक्शे आनलाईन करने मे जल्दबाजी करते हुए बिना किसी खातेदार के बयान लेकर बिना किसी प्रकार का मौका देखें बिना पुर्व राजस्व नक्शे का मिलान करते हुए अपनी मन मर्जी से गलत स्थान पर तरमीन कर दी है जिससे प्रार्थीया को भारी समस्या का सामना करना पड रहा है। अगर तरमीन गलत जगह रहती है तो प्रार्थीया को

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

भारी आर्थीक मानसिक नुकसान होगा जिसकी भरपाई किसी भी सुरत मे पुरी नहीं कि जा सकती है। प्रार्थीया द्वारा अपनी भुमि का आनलाईन रेकर्ड देखने हेतु राजस्व नक्शा निकलवाने पर यह ज्ञात हुआ खसरा सं. 441/38 की राजस्व नक्शे मे तरमीन अन्यत्र स्थान पर की गई तब प्रार्थीया को उक्त तथ्य की जानकारी हुई उक्त गलत तरमीन की जानकारी होने पर प्रार्थीया ने हल्का पटवारी से निवेदन किया कि खसरा सं. 441/38 की राजस्व नक्शे मे तरमीन को सुधारा जावें हल्का पटवारी ने पुराना नक्शा देखकर बताया की खसरा सं. 441/38 की आनलाईन तरमीन करते समय गलत हो गयी आप इसे राजस्व न्यायलय से तरमीन शुद्वी करवाकर लावे। तभी ही राजस्व नक्शे मे तरमीन शुद्व की जायेगी। तब प्रार्थीया को राजस्व नक्शे मे तरमीन गलत होने की जानकारी प्राप्त हुई जिस कारण उक्त तरमीन संसोधन के प्रार्थना पत्र कि आवश्यकता उत्पन्न हुई। प्रार्थना पत्र अन्दर म्याद है। तथा प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र विधिक बिन्दु पर है इसलिए उस पर म्याद कानुन लागु नही होता है। प्रार्थीया अपने हक हिस्से अनुसार मौके पर काबिज है प्रार्थीया अपने हक हिस्से की जमीन का उपभोग उपयोग बिना किसी रोक-टोक के करते आ रही है, अगर वर्तमान राजस्व नक्शे रेकर्ड के अनुसार प्रार्थीया के हक हिस्से की भुमि की गलत तरमीन रह जाती है तो प्रार्थीया को बिना मतलब की परेशानी का सामना करना पड सकता है प्रार्थीया को भारी नुकसान होने की पुर्ण सम्भावना है जिसकी क्षति पुर्ति किसी तरह सम्भवं नही होगी, तथा प्रार्थीया अपने हितों व अधिकारों की सुरक्षा के लिये यह प्रार्थना पत्र मौका कब्जा की जाचॅ कर मौके पर कब्जे अनुसार एवं पुर्व कपडे वाले राजस्व नक्शे अनुसार वर्तमान राजस्व नक्शे में संसोधन करवाने हेतु माननीय न्यायलय में पेश कर रही है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम पिपलिया कलां पटवार हल्का पिपलिया कलां के खसरा नं. 441/38 की मौके अनुसार पुर्व राजस्व नक्शे अनुसार वर्तमान राजस्व नक्शे मे तरमीन सही नही होने से विवाद कि स्थिति बनी हुई है इसलिए विवादित भुमि एवं खसरा सं. 441/38 की मौका कब्जा की जाचॅ कर मौके पर कब्जे अनुसार एवं पुर्व कपडे वाले राजस्व नक्शे अनुसार राजस्व नक्शे मे संसोधन तरमीन किया जाने का आदेश प्रदान करावें जिससे प्रार्थीया को भविष्य मे हाने वाली भारी समस्या से बचा जा सके। एवं प्रार्थीया को न्याय मिल सके।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तलबी की गई। अप्रार्थी तहसीलदार रायपुर का जबाव दिनांक 14.11.2022 को प्राप्त हुआ हैं जिसमें ग्राम पिपलियाकलां के खसरा नम्बर 442/1 व 442/8 जो खसरा नम्बर 441/38 के दक्षिण दिशा में लगते हुए समान्तर दिशा में तरमीम हो रखी थी जो लट्‌ठे से सिद्ध होता हैं कि उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा हैं। खसरा नम्बर 441/38 की वक्त सेग्रीगेशन डीआईएलआरएमपी भूलवश गलत दर्ज कर दी गई जबकि राजस्व लट्‌ठे नक्शे में मौके एवं कब्जे के अनुसार तरमीम हो रखी थी जो सही हैं इसलिये वर्तमान में भी मौके व लट्‌ठे के अनुसार तरमीम सुधार किया जाना उचित हैं। प्रार्थीया की इस्तेदुआ स्वीकार किया

जाना उचित हैं। ग्राम पिपलियाकलां के खसरा नम्बर 441/38, 442/1 व 442/8 की तरमीम नजरी नक्शे में वर्णित लट्ठा नक्शे व मौका स्थिति के अनुसार संशोधन किये जाने हेतु निवेदन किया हैं।

उभयपक्ष बहस सुनी गई, बहस के दौरान दिये गये तर्को पर गहनता पूर्वक मनन किया तथा पत्रावली पर पेश दस्तावेजात का अवलोकन किया गया जिसमें पाया कि सरहद मौजा पिपलियाकलां पटवार हल्का पिपलियाकलां के खसरा नम्बर 441/38,442/1 एवं 442/8 की तरमीम भूलवश लठठा नक्शानुसार न की जाकर भिन्न जगह कर दी गई अर्थात् भूलवश गलत दर्ज कर दी गई हैं। वर्तमान ऑनलाईन तरमीम से खातेदारी भूमि की मौके पर कब्जा काश्त व लठठा नक्शा में की गई तरमीम मिलान नहीं करती हैं। इसलिए तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश राजस्व लठ्ठा नक्शा व मौका स्थिति अनुसार संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम का संशोधन किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

## आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार कर सरहद मौजा पिपलियाकलां पटवार हल्का पिपलियाकलां के खसरा नम्बर 441/38,442/1 एवं 442/8 में तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश राजस्व लठ्ठा नक्शा व मौका स्थिति अनुसार (संलग्न नजरी नक्शा अनुसार) तरमीम का संशोधन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश नजरी नक्शा, इस निर्णय का आवश्यक भाग रहेगा। पालनार्थ हेतु आदेश, तहरीर के साथ भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(सुरेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)

यह निर्णय आज दिनांक 11.01.2023 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)